

अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या-13/2020

अपीलकर्ता— श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301

उत्तरदाता:—लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301 अपीलीय पत्र दिनांक 30.06.2020 के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2020 के प्रातः 11.00 बजे से उनके मोबाइल नम्बर 8239067024 पर अपील के सम्बन्ध में सुनवाई प्रारम्भ की गयी मोबाइल में नेटवर्क की तकनीकी असुविधा के कारण अपीलकर्ता से सुचारु रूप से संवाद नहीं हो सका फिर अपीलकर्ता से अनुरोध कर कोई दूसरा मोबाइल नम्बर मांगा गया जिसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी उचित हो।

अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-408 दिनांक-01 जून 2020 के द्वारा वांछित बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी सूचना से अवगत कराते हुए सानुरोध स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण तथा निर्वाचन प्रक्रिया संचालन एवं सम्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को वोटर्स पेंशन आदि उपलब्ध कराने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती और न नियमों में इस प्रकार का कोई प्राविधान है।

इस पर अपीलकर्ता श्री एस0एल0 व्यास, द्वारा सुनवाई के दौरान दूरभाष पर अवगत कराया गया कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई, जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वोटर्स पेंशन दिये जाने पर विचार किया जा रहा है यह अपीलकर्ता का निजी कथन है निर्वाचन विभाग इसकी किसी प्रकार से आधिकारिक और प्रमाणिक पुष्टि नहीं करता। अपीलकर्ता द्वारा इस अपील के निस्तारण संबंधी कार्यवाही/आदेश को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को सन्दर्भित करने का अनुरोध भी किया गया है।

उपरोक्तानुसार मोबाइल के माध्यम से अपील की सुनवाई के फलस्वरूप अपील को निस्तारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उचित है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

पु0संख्या- 684 /xxv- 12(9) /2018 , दिनांक 26 अगस्त 2020

प्रतिलिपि—

1- अनु सचिव/ लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, मुख्यमंत्री, कार्यालय अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-97 दिनांक 06 मई 2020 के क्रम में अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 2.3.2020 एवं अपीलीय पत्र दिनांक 30.6.2020 की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-5 को उनके पत्र संख्या-71 दिनांक 27 मई 2020 के क्रम में अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 2.3.2020 एवं अपीलीय पत्र दिनांक 30.6.2020 की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

4.श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301 को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथापरि।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या-13/2020

अपीलकर्ता- श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301

उत्तरदाता:-लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301 अपीलीय पत्र दिनांक 30.06.2020 के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2020 के प्रातः 11.00 बजे से उनके मोबाइल नम्बर 8239067024 पर अपील के सम्बन्ध में सुनवाई प्रारम्भ की गयी मोबाइल में नेटवर्क की तकनीकी असुविधा के कारण अपीलकर्ता से सुचारू रूप से संवाद नहीं हो सका फिर अपीलकर्ता से अनुरोध कर कोई दूसरा मोबाइल नम्बर मांगा गया जिसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी उचित हो।

अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-408 दिनांक-01 जून 2020 के द्वारा वांछित बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी सूचना से अवगत कराते हुए सानुरोध स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण तथा निर्वाचन प्रक्रिया संचालन एवं सम्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को वोटर्स पेंशन आदि उपलब्ध कराने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती और न नियमों में इस प्रकार का कोई प्राविधान है।

इस पर अपीलकर्ता श्री एस0एल0 व्यास, द्वारा सुनवाई के दौरान दूरभाष पर अवगत कराया गया कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई, जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वोटर्स पेंशन दिये जाने पर विचार किया जा रहा है यह अपीलकर्ता का निजी कथन है निर्वाचन विभाग इसकी किसी प्रकार से आधिकारिक और प्रमाणिक पुष्टि नहीं करता। अपीलकर्ता द्वारा इस अपील के निस्तारण संबंधी कार्यवाही/आदेश को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को सन्दर्भित करने का अनुरोध भी किया गया है।

उपरोक्तानुसार मोबाइल के माध्यम से अपील की सुनवाई के फलस्वरूप अपील को निस्तारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उचित है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

पू0संख्या- 684 /xxv- 12(9) /2018 , दिनांक 26 अगस्त 2020

प्रतिलिपि-

1- अनु सचिव/ लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, मुख्यमंत्री, कार्यालय अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-97 दिनांक 06 मई 2020 के क्रम में अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 2.3.2020 एवं अपीलीय पत्र दिनांक 30.6.2020 की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-5 को उनके पत्र संख्या-71 दिनांक 27 मई 2020 के क्रम में अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 2.3.2020 एवं अपीलीय पत्र दिनांक 30.6.2020 की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ ।

4.श्री एस0एल0व्यास मार्फत राष्ट्रीय महासचिव ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर ऐशोशियेशन आई मॉ भवन माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0-11 फलोदी, जिला जोधपुर-342301 को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथापरि।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी।

प्रेषक - एसएलवास मार्फत शशीम मेहरासिध आर्ट ड्रिगिंगा वॉलर्स -
इंडिया एंड वेलफेयर एसोसिएशन, आई.मॉ. मन्वज माध्यामिकी
ब्ल, पी.वी.कमरा 11, फ्लॉरी (जेधपुर) 342302 (0823906703)

Ref No - SLV/सद्य. सु.निर्वा. आधि. AA/Levd/RTIA/2025-6

To
अपीलीय अधिकारी

सहायक मुख्य निवाचन अधिकारी

विश्वकर्मा मन्वज प्रथम तल, सायवालय पोरसर, पशु भाष बौड
हेडरूम 248001 फोन 0352713551/2713552

विषय - RTI ACT-2025 आवेदन की अपील, अज्ञात सन्तोष -
पहले विधिन्याय करके राहत दिलावे वांछित।

महोदय

उपरोक्त विषयक उत्तरावकाश शासन गृह मन्त्रालय-05 के पत्रानु-

सार अज्ञात नहीं मिला। RTI आवेदन पत्र 04 2/3/2020

बिन्दु 1 मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित एवं 2, 3 सी। 4 बिन्दु यानि

सभी बिन्दु 1 2 3 4 मुख्यमंत्री उत्तरावकाश करके RTI ACT

2025 के तहत क्या कार्यवाही की गई। बिन्दु 4 राष्ट्रपति जी को पत्र

बेला उसकी प्रति ही उसके पत्र सादर के साथ अंग्रेजित मतभवा

आ के हित में जाहेश कि मा उपलब्ध करावे हरे। गुमराह नहीं

करे। इतरकार एक ही कदमी क्यों होवते हैं। आवत सरकार राष्ट्रपति

जी को प्रोपक पत्र की प्रति राष्ट्रहित भेल सकें। रे प्रोपक आपका

30 जून 2020 को 2 PM पर प्राप्त। आपने बेला उसकी फोटोकॉपी

फिर भी भेज रहे हैं लोक सचन/ अधिकारी मन्त्रालय अधिकारी वरना सिंह

जीराक्त के हस्ताक्षर उक्त फ No - 408/XXV-12(9)/2018 हेडरूम

अवधान 2020 रे प्रोपक आपकी 30/6/2020 आपको अज्ञात करतें हैं

कि 1 से मा बिन्दु मुख्यमंत्री उत्तरावकाश करके संबंधित ही हैं

2, 3 4 हम से चेतता रहे हैं अज्ञात विभाग का नहीं है तो

जिससे संबंधित हो उसे 6(3) के तहत RTI ACT 2025
में भेजने की व्यवस्था करके विधिन्याय करके आप
गुमराह नहीं करे। सही सूचना करके ही भिजावे। राष्ट्रहित में
हो रही कार्यवाही प्रथम अपील की, हस्ताक्षरकर्ता आवेदनको
निजात दिलावे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सांख्यिक शासनको चला
लय को प्रेषित करके गोप है आपने क्यों सजा अज्ञात हरे शीघ्र
अज्ञात आपका पानी सि 2018 आधा अज्ञात नहीं हरे। अचरित
ध्यान है। धन्यवाद
30/6/2020

सर
बिन्दु
द्वारा
7
0
7
5
7
3
7

सूचना अति
सहायक निवा

अचरित
SLV/4/2025

1800-1801
21/3/2020

प्रकरण "क"
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
(धारा 4 (b) (iv))
सूचना साहजे के लिए आवेदन का प्रकरण

Date
Page
Revised

श्री. राज लोचन सूचना अधिकारी
श्री त्रिवेन्द्र सिंह जी रावत,
सुपरी मुख्य उतराप्रखंड सरकार,
C.No. साधियालय सुमा 254,
हेडरफुल 248001 (उतराखण्ड)

आतिआवप्रमक

आवेकक का नाम	एसएल व्यास मर्कित राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया वोटर्स
वपता	- राईस एड वेलफेयर एनोसिडेशन आई.मौ.मि.वज माधोयाम की डाल, पो. कॉम्प. No-11, फलौड़ी (जोधपुर) -342,301 (फोन) 8239067004

सूचना चाही गई (आतिआवप्रमक) ✓

- सूचना का विवरण :- जोड़ू (सी) 1870/2018 दिनांक 25/11/2018 के तहत राज्य के प्रमुख सचिव हेतु विभाग अनामकतु शासनकर्म आगे क्या कार्यवाही की गई सचिवका टिप्पणी युक्त विधिक न्याय किया RTI के तहत हिरोवे आका 08/11/2017 को पत्रावली पर क्या आदेश दिए जाने राष्ट्रहित में किया गया निष्पक्षीकरण एवं अन्यको चिन्तीकरण करने के क्रम में जिलाधिकारी हेडरफुल सुमाह करने का विधिक कारण बताओ आज ही दूज पाठों को आमहोतकमी करी में समाहित करने की सूची उपलब्ध करावे एम साहिव RTI Act 2005 के तहत 4.30 जिलाकर्मक हेडरफुलको 28/12/2019 No- 990-993 डेपुटी RTI जवाबनहीं मिला विधिन्याय करे सुपरी मुख्य उतराप्रखंड सरकार आज ही आका हिरोवे 13/15 13/18 08/21/12/2019 प्रकर्मितका सुपुलासा नही विधिन्याय आप करावे।

- पत्र No- 15/2019/RTI/सा राष्ट्र प्रतिमापत/सा। 2019/वि शोधपत्र/9000215-1000215 के तहत 15/12/2019 को विधिक न्याय - वितीमक 2000-22 के बसट में लीवता सेमतहात आ को मरिफत 2000/कपके वोटर्स पेंशन हेतु का पावधान साहित करने हेतु विधिक न्याय - (बाबत) आपका मंजागया उरके एम साहिव नेमतहात आके पत्र में क्या आदेश जारी किया राष्ट्रहित में RTI Act 2005 के तहत उपलब्ध करावे। ताकी राष्ट्रपतिजी को मिठवासके। बिनुवार जवाबमय आका हिरोवे। आपकी राष्ट्र के हित में निर्णय होंगे। निवीचक विभाग उतराप्रखंड मात्र लिपा पोती कर रही है न्याय करके सुडलसा करावे एम साहिव जी।

RTI के तहत नो. 475-07/110 R5-10/-08/3/3/2020
चाही गई सूचना प्राप्त हुई नहीं आती है। उपरोक्त विषय बिनु आका अंततः जवाब देवे। समय अवधि तीन दिन, हमारे जीवन में बिनु आका अंततः 72 घण्टो (तीन दिन में) जवाब देवे। समय 08/3 दिन, स्थान फलौड़ी दिनांक 2/3/2020, समय 12-AM